संख्या-33/2019/959/46-1-19-1000(29)/2018

प्रेषक,

कमल किशोर गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 31 जुलाई, 2019

विषयः-"मैन पावर" उपलब्ध कराने हेतु "मैन पावर आउट सोर्सिंग एजेन्सी" के माध्यम से कार्मिकों को निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत एवं नियत पारिश्रमिक पर रखे जाने पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-23 (गन्ना) के अन्तर्गत कम पड़ रही धनराशियों हेतु पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-622/लेखा-बजट (पुनर्विनियोग)/2019-20, दिनांक 05.07.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-23(गन्ना) लेखाशीर्ष- "2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-03-गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में प्राविधानित धनराशि रू. 12.00 लाख में घटित होने वाली बचतों में से रू. 6.00 लाख (रूपये छः लाख मात्र) को **लेखाशीर्ष-"2401-फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान-58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में** संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग की अनुमति सहित व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पुनर्विनियोजित धनराशि व्यय करने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए शासनादेशों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा व्यय केवल उक्त स्वीकृत मदों पर ही किया जाये।

3. बचत की धनराशि गन्ना एवं चीनी आयुक्त द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा उसका सदपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

4. बजट मैनुअल तथा शासन के अस्थायी निर्देशों के अनुपालन में निर्धारित प्रारूपों में (बी.एम.-13) व्यय की सूचना शासन के वित्त विभाग, चीनी उद्योग एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

गन्ना विकास विभाग को चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

5. उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-23(गन्ना) के अन्तर्गत **लेखाशीर्षक "2401-**फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान मद से पुनर्विनियोजि करते हुए (बी-एम-9 भाग-1 के अनुसार) उक्त लेखा शीर्षक के मानक मद 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-6-515/दस-2019, दिनांक 25 जुलाई, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या-33/2019/959(1)/46-1-19-1000(29)/2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है